

11.9.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उभय
पक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वाले बहल
श. प्र. से, बहल श. प्र. रिपु आदेशा धारा
47 के एवं बहल श. प्र. 01 R10 के दिनांक
16.10.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

16/10/25 अतिमाफकी द्वारा न्यायिक कार्य का
स्थान रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो
सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25.11.25 को पेश
हो। (प्र)

25.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष
उपस्थित। पत्रावली का एवं उक्त विवादित आराजीयता
अथवा अमान्यता का अवलोकन किया। अवलोकन से
स्पष्ट है कि प्रकरण में श. प्र. के उक्त विवादित
आराजीयता के खलेदारान कमलेश पुत्र तिरोजी लाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम कुमलेश तहसीलदार मु.नं.- 27/25 किस्म - प्रि.पत्र चारापत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--	--

जगमोहन पुत्र दिरोडीलाल, रामाखिलाडी पुत्र दिरम
 लाल एवं हरदेसा पुत्र दिरोडीलाल द्वारा कटे ग्राम
 बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला डोंरु के खसरा
 नम्बर 240, 241, 242 कुल खसरा कुल 3 कुल
 रकबा 0.17 है का बेचान हो चुका है। वर्तमान
 में शर्मा द्वारा विधायित भद्राजीशत का आवेदन
 नहीं है इस कारण से शर्मा पत्थरगढी करवाने
 का अधिकारी नहीं है। इस कारण द्वारा प्रि.पत्र
 वाकत पत्थरगढी स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता
 है। इस कारण प्रि.पत्र वाकत पत्थरगढी खारिज
 (Reject) किया जाता है। फावसी फैसल
 शुमार होकर दाखिल इफतद हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)